राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.7(17)खान/ग्रुप-2/2002-3/ जयपुर, दिनांक 7.2.2002

समस्त खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
राजस्थान

परिपत्र

विषय :- माईनिंग लीज का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के सम्बन्ध में ।

माईनिंग लीज का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(8)राज-3/96 दिनांक 17.1.2002 के अनुसरण में खान विभाग द्वारा जारी खनन पट्टों के राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के सम्बन्ध में समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

1. खनन पट्टा स्वीकृति के आदेश जारी करते समय स्वीकृति आदेश में लीज के क्षेत्रफल के साथ खसरा नम्बर भी अंकित किये जावें तथा स्वीकृत क्षेत्र को जी.टी. शीट पर मार्क कर राजस्व नक्शे पर सुपर इमपोजीशन करते हुए स्वीकृति आदेश एवं सुपर इमपोजीशन नक्शें की प्रति साथ में लगावें ।

2. खनन पट्टा आवंटन की एक प्रति उपरोक्त सूचना सहित सम्बन्धित तहसीलदार एवं पटवारी को जमाबन्दी में अंकन हेतु आवश्यक रूप से प्रेषित की जावेगी तथा सम्बन्धित तहसीलदार एवं पटवारी इसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन जरिये नामान्तरकरण करेंगे । नामान्तरकरण की प्रति राजस्व विभाग से प्राप्त कर खनन लीज पत्रावली में शामिल की जावें ।

3. वर्तमान में प्रचलित खनन पट्टों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के लिये राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ सम्बन्धित क्षेत्र का सर्वे कर खसरा नम्बर तथा उसके क्षेत्रफल का मय राजस्व नक्शा के निर्धारण करेंगे तथा राजस्व अधिकारियों के साथ सम्पर्क कर उसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में कराना सुनिश्चित करेंगे ।

4. सरकारी भूमि के वे खसरा नम्बर जो खनिज सम्भावित एरिया है उनकी सूची एक माह में सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवा दी जावें जो राजस्व रिकॉर्ड के अन्दर उन खसरा नम्बरान के सामने खनिज सम्भावित क्षेत्र होने का अंकन करेंगे । भूमि की किस्म के साथ-साथ खनिज सम्भावित क्षेत्र का अंकन भी किया जायेगा । ये इन्द्राज भी रिकॉर्ड में जरिये नामान्तरकरण किया जायेगा । ताकि खनिज सम्भावित क्षेत्र आवंटन या नियमन या वन विभाग को हस्तान्तरित

नहीं हो सके । सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के खनिज सम्भावित क्षेत्र का कोई आवंटन एवं नियमन नहीं हो सके । यह कार्यवाही दिनांक 15.3.2002 से 15.4.2002 तक अभियान के रूप में चलाकर एवं सूची बनाकर सम्बन्धित क्षेत्रीय तहसीलदार को भेजकर अंकन सुनिश्चित करेंगे ।

भवदीय

ह/-

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

कमांक: निदे/प.2/अप्र /का.स./12/82/155 - 222 दिनांक - 16 .2.2002

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

11. अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर ।
12. अतिरिक्त निदेशक (भू विज्ञान) उदयपुर / जयपुर / जोधपुर / मुख्या. उदयपुर
13. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), के.का. उदयपुर
14. अधीक्षण खनि अभियन्ता, (मु.-I/II/III) केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर
15. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर/भरतपुर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/भीलवाड़ा
16. वित्तीय सलाहकार / उप विधि परामर्शी
17. खनिअभियन्ता, जयपुर / अजमेर / सीकर / मकराना/ भरतपुर /करौली/धौलपुर/ अलवर/कोटा/ रामगंजमंडी /बूंदी-I/ II/ जोधपुर/ सिरोही/बीकानेर /नागौर/उदयपुर / राजसमन्द-I / II/ आमेट/भीलवाड़ा/ चित्तौडगढ़/ बिजोलिया/ (याचिका)जयपुर/जोधपुर ।
18. सहायक खनि अभियन्ता,टोंक/कोटपुतली/झालावाड़/बालेसर/ बाड़मेर/ सोजत /जालोर /श्रीगंगानगर /जैसलमेर /गोटन/ डूंगरपुर / बाँसवाड़ा/सलुम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेड़ा ।
19. अप्रधान रियायती अनुभाग - डी.सी. उदयपुर/कोटा-भीलवाड़ा/जयपुर/जोधपुर-बीकानेर/भरतपुर, केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर ।
20. प्रकाशन अनुभाग/प्रधान अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय

अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.)